

क्रमांक 3312001 / छ.ग. / 2017 / निय.

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन,
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक / 08 / 2017

प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव कचार,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- स्थानांतरण शासनादेश की प्रति सौंपने बाबत् ।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 01-16/31/स्था/2017, रायपुर, दिनांक 14.08.2017.

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत शासन के संदर्भित आदेश की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।
कृपया संबंधित को शासनादेश की प्रति तत्काल सौंपकर पालन प्रतिवेदन से शासन एवं इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।
(01 आदेश)

अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्र. 3312001 / छ.ग. / 2017 / निय. | 12947 रायपुर, दिनांक 22/08/2017
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर शासन के संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट, स्टेट डाटा सेंटर, रायपुर।
3. मास्टर नस्ती।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।
(सरल क्रमांक-02 के लिये)

अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर



(11)

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
—:: आदेश ::—

नया रायपुर, दिनांक .08.2017

क्रमांक एफ 01-16/31/स्था./2017 :: राज्य शासन एतद्वारा प्रशासनिक दृष्टि से स्थानीय व्यवस्था के तहत श्री ए.एल. साहू मानचित्रकार, जल संसाधन मंडल, बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, खारंग, जल संसाधन संभाग, बिलासपुर में पदस्थ करता है।

2. स्थानांतरित कर्मचारी एक सप्ताह के भीतर कार्य मुक्त किये जायें। दिनांक 22.08.2017 की स्थिति में स्थानांतरित कर्मचारी स्वमेव कार्यमुक्त माने जावेंगे।
3. अधिसूचित क्षेत्र से स्थानांतरित कर्मचारी, एवजीदार के आने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
4. स्थानांतरण आदेश का पालन कराया जाकर, पालन प्रतिवेदन समय-सीमा में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित मुख्य अभियंता की होगी।
5. सामान्य प्रशासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में उल्लेखित प्रावधानुसार प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नीलकण्ठ टीकाम)

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक |५ .08.2017

पृष्ठांकन क्र. एफ 01-16/31/स्था./2017

प्रतिलिपि:-

1. मानो मंत्रीजी के विशेष सहायक, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. मानो संसदीय सचिव के निज सहायक, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
3. रटाफ ऑफिरर सचिव / संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
4. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
5. समस्त मुख्य अभियंता,
6. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, इन्ड्रायती भवन, नया रायपुर।
7. समस्त अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल,
8. समस्त कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग,
9. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय,
10. सर्वसंबंधित अधिकारी द्वारा—प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
11. आदेश फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10 AUG 2017

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
—:: आदेश ::—

नया रायपुर, दिनांक | ५.०८.२०१७

क्रमांक एफ ०१—१६/३१/स्था./२०१७ :: राज्य शासन एतद्वारा प्रशासनिक दृष्टि से स्थानीय व्यवस्था के तहत श्री ए.एल. साहू मानचित्रकार, जल संसाधन मंडल, बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, खारंग, जल संसाधन संभाग, बिलासपुर में पदस्थ करता है।

2. स्थानांतरित कर्मचारी एक सप्ताह के भीतर कार्य मुक्त किये जायें। दिनांक 22.08.2017 की स्थिति में स्थानांतरित कर्मचारी स्वमेव कार्यमुक्त माने जावेंगे।
3. अधिसूचित क्षेत्र से स्थानांतरित कर्मचारी, एवजीदार के आने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
4. स्थानांतरण आदेश का पालन कराया जाकर, पालन प्रतिवेदन समय—सीमा में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित मुख्य अभियंता की होगी।
5. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में उल्लेखित प्रावधानुसार प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नीलकण्ठ टीकाम)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

जल संसाधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक | ५.०८.२०१७

पृष्ठांकन क्र. एफ ०१—१६/३१/रथा./२०१७

प्रतिलिपि:-

1. मान० मंत्रीजी के विशेष सहायक, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. मान० संसदीय सचिव के निज सहायक, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
3. स्टाफ ऑफिसर सचिव, / संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
4. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
5. समस्त मुख्य अभियंता,
6. रांचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
7. समरत अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल,
8. समरत कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग,
9. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय,
10. सर्वसंबंधित अधिकारी द्वारा—प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
11. आदेश फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग